

क्रय एवं भंडार अनुभाग
डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

क्र. क्रय एवं भंडार/सी.पी.सी./2017-18/ 995

दिनांक 22.08.2017

// सूचना //


24

सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अध्यादेश 21 के परिनियम 28 के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया है, जो कि दिनांक 31.03.2018 तक मान्य है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य रहेंगे :-

सदस्यगण:


- | | |
|---|-----------|
| 1. प्रो. आर.पी. मिश्रा, अधिष्ठाता, व्यवहारिक विज्ञान अध्ययनशाला | — अध्यक्ष |
| 2. कुलसचिव | — सदस्य |
| 3. वित्ताधिकारी | — सदस्य |
| 4. सामग्री क्रयकर्ता (उपयोगकर्ता) विभाग प्रमुख | — सदस्य |
| 5. प्रभारी अधिकारी, क्रय एवं प्रापण (सहा. कुलसचिव) | — सचिव |

आदेशानुसार,


कुलसचिव 24/8/17

प्रतिलिपि:-

1. समस्त सदस्यगण ।
2. समस्त अधिष्ठाता, अध्ययनशाला/संचालकगण, प्रशासनिक अनुभाग(कार्यालय)
3. समस्त विभागाध्यक्ष/शाखा प्रभारी,
4. कुलपति महोदय के सचिव ।
5. वित्ताधिकारी/प्रभारी परीक्षा नियंत्रक
6. उपकुलसचिव, कुलसचिव कार्या./परीक्षा एवं गोपनीय
7. आंतरिक संपरीक्षा अधिकारी/ सहा. कुलसचिव, अनु. एवं विकास कार्यालय.
—को सूचनार्थ प्रेषित


22/8/17
सहा. कुलसचिव(क्रय एवं भंडार)
92